न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा
पीठासीनअधिकारीः–पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –50 / 2025 (अपील)
GCMS No.2025/70

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़
2. बजरंगलल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड
3. रामगोपाल पुत्र रामप्रतापजाति धाकड
4. शंरलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड
5. जगदीश पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड़
6. बसन्तकुमार पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड
7. कालूलाल पुत्र जगन्नाथ
   जाति मेघवाल निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलान्टगण

बनाम

1. बालाराम पुत्र गंगाराम मेघवाल जाति मेघवाल, निवासी ग्राम उण्डवा हाल बोरदी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 11.02.2025 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 07 / 2024 उनवान बालाराम बनाम ओमप्रकाश अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित–

1. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 28.01.2026

1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में मि0नं0 07 / 2024 में दिनांक 11.02.2025 को निर्णय पारित किया कि– "अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नं0 1079 रकबा 0.2000 हे0 खसरा नं0 1150 रकबा 0.5700 हे0 किस्म बारानी द्वितीय पर से अप्रार्थीगण को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावें ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 11.02.2025 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 12.5.2025 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राज0 टीनेन्सी एक्ट का उसकी गैर मोजूदगी में एवं अपीलांट की गैर मोजूदगी में उसके वकील साहब का नाम गलत तौर पर अंकित किया है, अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त गलत निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त हाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया, रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित पाने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी । वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम उण्डवा तह0 रामगंजमण्डी में खसरा नं0 1079 की 0.2000 हे0 एवं खसरा नं0 1150 की 0.5700 हे0 आराजी स्थित है । रेस्पोडेन्ट वादी बालाराम के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित करते हुए समस्त अपीलांट्स के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र धारा 183–बी का बेदखली बाबत प्रस्तुत किया जबकि वास्तविकता इस प्रकार से है कि ओमप्रकाश बजरंगलाल जाति धाकड

निवासी उण्डवा के खसरा नं0 1150 के एवं कालू, बसंत, रामगोपाल, जगदीश, शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा का कब्जा एवं बाडा बनाकर अलग अलग अपीलांट्स का 100 वर्ष पूर्व से कब्जा है । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट वादी को प्रत्येक अपीलांट्स के विरूद्व 183–बी का प्रार्थना पत्र अलग अलग प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा पस्तुत नहीं किया गया है इस कारण से उक्त प्रकरण में मिसज्वाइण्डर पार्टी एवं मिस ज्वाइण्डर कॉज एक्शन का कानूनी दोष होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेंट वादी बालाराम का प्रार्थना पत्र 183 बी कानूनन खारिज करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । समस्त अपीलांट विगत 100 वर्षो से उक्त भूमि का खलियान के रूप में काम लेते चले आ रहे है एवं वर्तमान में उक्त भूमि वर्तमान में बाडे एवं मकान के काम में आती है यानि रेस्पोडेंट वादी का कब्जा नहीं है । इस बात की पुष्टि मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने कार्यवाही ओलांटस प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 30.1.2025 को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी एंट्री दिनांक 30.1.2025 के आदेश में हो रही है और इसकी नकल रेस्पोडेंट वादी को दिलाइ गई किंतु उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर आदेश न करके सीधे ही निर्णय दिनांक 11.2.2025 को पारित कर दिया । इस कारण से उक्त निर्णय कानूनन निर्ण्य की परिधि में नहीं आता है एवं पक्षकारों के बयान लिये एवं जिरह किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.2.2025 को अपने अधिकारों से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त योग्य है । रेस्पोडेन्ट वादी को अपीलांटस के विरूद्व दिनांक 10.9.2024 को या उसके आसपास उक्त प्रकरण पर कोई वाद उत्पन्न नहीं हुआ है ओर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अवधि बाधिक प्रार्थना पत्र धारा 183–बी को स्वीकार करके कानूनी त्रुटि की है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कथन किया कि जब अपीलांट्स प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर गये तब रेस्पोडेन्ट वादी के द्वारा दिनांक 16.4.2025 को जबरन खेत पर आकर लड़ाई झगडा करने पर यह कहने पर की दिनांक 11.2.2025 को तहसीलदार रामगंजमण्डी ने निर्णय कर दिया है और उक्त जमीन पर कब्जा करके रहूंगा तब अपीलांट को मालूमात हुआ । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें एवं ऑर्डर 7 नियम 11 सीपी के प्रार्थना पत्र पत्र अपीलांट को रेस्पोडेन्ट वादी एवं उसके गवाह से जिरह करने हेतु अवसर प्रदान किया जावें इस हेतु उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 11.02.2025 के विरूद्व दिनांक 12.05.2025 को पेश की गई है जो विलम्ब से पेश है किन्तु अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित होने एवं प्रथम जानकारी वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 16.4.2025 को बताने पर होने से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रथम जानकारी की तारीख से अपील अवधि मध्य मानी ज़ाती है, फिर भी यदि विलम्ब भी हुआ है तो वह क्षम्य योग्य है ।
6. अपीलांट के प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए है कि ग्राम उण्डवा की आराजी खसरा नं0 1079 रकबा 0.2000 हे0 व खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.5700 हे0 किस्म बारानी द्वितीय प्रार्थी रेस्पोडेन्ट बालाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड थी, जिस पर अप्रार्थी अपीलांट का कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0ए0 का प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जिस पर जांच में अप्रार्थीगण अपीलांट का कब्जा होने से 183–बी के अन्तर्गत अप्रार्थी अपीलांट को वर्णित भूमि से बेदखल करने का आदेश दिनांक 11.2.2025 से पारित किया गया । जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें मुख्य तर्क है कि वर्णित भूमि पर उनका 100 वर्षो से भी अधिक का समय हो चुका है, तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित बताया, साथ ही यह भी तथ्य प्रकट हुए है कि अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.1.2025 को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी एवं 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई, अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 के जवाब में दिनांक 11.2.2025 को पत्रावली

नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर कोई सुनवाई नहीं की ओर ना ही आदेश 7 नियम 11 का निर्णय पारित किया अपितु पत्रावली सीधे ही उक्त दिनांक 11.2.2025 को बिना बहस सुने अन्तिम निर्णय कर दिया जिसमें न्यायिक प्रकिया की पूर्ण पालना का अभाव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में पाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिनांक 30.1.2025 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रोपर निर्णय करना चाहिए था तत्पश्चात अन्तिम बहस सुनी जाकर अन्तिम निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जिसका अभाव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय में पाया गया है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.2.2025 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.1.2025 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रोपर निस्तारण करते हुए उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा